न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 03 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. धर्माराम पुत्र दौलाराम 2. भैराराम पुत्र दौलाराम 3. गोरधनराम पुत्र दौलाराम 4. कुम्भाराम पुत्र दौलाराम 5. हडुमान पुत्र जेठाराम जातियान जाट, निवासीयान बागथल तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर	1. उदाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बागथल (रातड़िया) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 2. जयपुर थार ग्रामीण बैंक, भणियाणा 3. श्रीमान तहसीलदार भणियाणा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 24 / 2015 बअनवान उदाराम बनाम धर्माराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल, श्री नरपत पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस अधिवक्ता श्री बालाराम गोदारा ने पैरवी हिदायत नहीं है अंकित किया।

निर्णय

दिनांकः— 22.08.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 573 रकबा 180.04 बीघा किस्म गैर मुमकिन मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का रातड़िया व खसरा संख्या 318 रकबा 18 बिस्वा खसरा संख्या 319 रकबा 22.08 बीघा, खसरा संख्या 540 रकबा 184.17 बीघा कुल 3 खसरा रकबा 208.03 बीघा मौजा बागथल पटवार हल्का रातड़िया तहसील भणियाणा में आया हुआ है। उक्त सम्पूर्ण खसरान की भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है तथा वादी अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है तथा वादी की ढाणीयां बनी हुई है। वादी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार कणा व माड डाल कर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा रेस्पोडेटस अधिवक्ता ने पैरवी की हिदायत नहीं है अंकित किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट अधिवक्ता की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार भणियाणा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार भणियाणा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के गार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत प्रस्तावित कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार भणियाणा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अपीलांटस को पूर्व में कोई ज्ञान नहीं था जानकारी पूर्व में अपीलांटगण को नहीं हुई ओर माह मार्च 2020 में कोरोना माहामारी के कारण लगे लॉक डाउन के कारण अदालतों में कागकाज बन्द हो जाने के कारण भी अपीलांटगण को आलोच्य निर्णय की जानकारी नहीं हुई। आज से अर्सा 5–7 दिन पूर्व जब आलोच्य निर्णय की आड़ में उतरदाता, अपीलांटगण की कब्जे काश्त की भूमि में दखलदांजी व हस्तक्षेप करने लगे व अपीलांटगण को जबरन बेदखल करने का प्रयास करने लगे तब अपीलांटगण ने आलोच्य निर्णय की प्रमाणित नकले दिनांक 23.06.2020 को मांजी जो तैयार होकर अपीलांटगण को दिनांक 23.06.2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को ही प्राप्त हुई और प्रमाणित प्रति प्राप्त होने तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर गियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर गियाद शुमार की जावे। अपीलांटरा अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2016-17(Supp.) Page 711

RRT 2017(1) Page 689

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अपीलांटगण का धारा 05 का प्रार्थना–पत्र अपीलांटस द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर गियाद शुमार की जाती है। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के सगर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2017(2) Page 1104

DNJ 2020(Rev.) Page 155

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.06.2017 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिगाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2015 बआनवान उदाराम बनाम धर्माराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलागात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडरा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.11.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर